सूचना प्रौद्योगिकी नियिमों का मसौदा जारी

चर्चा में क्यों?

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) अधनियिम के प्रस्तावित संशोधनों जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटिर जैसे प्लेटफार्मों पर 'गैरकानूनी' जानकारी उपलब्ध कराने वाले 'प्रवर्तक' का पता लगाने और ऐसी सूचनाएँ अधसूचित होने के 24 घंटे बाद इस तरह की सामग्री को हटाना अनविार्य करते हैं, का मसौदा जारी कयिा है।

- उल्लेखनीय है कि फेक न्यूज/व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडयिा साइटों के जरयि फैलाई गई अफवाहों के कारण 2018 में मॉब लचिगि की अनेक घटनाएँ हुईं।
- यह मसौदा सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद आया है जसिमें सरकार को गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडयिा मंचों के जरयि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बलात्कार और सामूहकि बलात्कार जैसे यौन दुर्व्यवहार संबंधी ऑनलाइन सामग्री के प्रकाशन और इनके प्रसार से नपिटने के लयि दशिा-नरि्देश या मानक संचालन प्रक्रयिा (Standard Operating Procedure-SOP) तैयार करने के लयि मंज़ूरी दी गई थी।

सूचना प्रौद्योगिकी कानून

- सूचना प्रौद्योगिकी कानून (आईटी कानून), 2000 को इलेक्ट्रोनकि लेन-देन को प्रोत्साहति करने, ई-कॉमर्स और ई-ट्रांजेक्शन के लयि कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई-शासन को बढ़ावा देने, कंप्यूटर आधारति अपराधों को रोकने तथा सुरक्षा संबंधी कार्य प्रणाली और प्रक्रयिाएँ सुनशि्चति करने के लयि अमल में लाया गया था।
- यह कानून 17 अक्तूबर, 2000 को लागू कयिा गया।
- सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अनुच्छेद 79 में कुछ मामलों में मध्यवर्ती संस्थाओं को देनदारी से छूट के बारे में वसि्तार से बताया गया है। अनुच्छेद 79(2)(c) में जकि्र कयिा गया है कि मध्यवर्ती संस्थाओं को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उचति तत्परता बरतनी चाहयि और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावति अन्य दशिा-नरि्देशों का भी पालन करना चाहयि। तद्नुसार सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लयि दशिा-नरि्देश) नयिम, 2011 को अप्रैल-2011 में अधसूचित कयिा गया।

2011 के नयिमों के स्थान पर नए नयिम

- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2011 में अधसूचित नयिमों के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लयि दशिा-नरि्देश) नयिम, 2018 का मसौदा तैयार कयिा। जसि पर वचिार-वमिर्श की प्रक्रयिा चल रही है।
- वभिन्नि मंत्रालयों के बीच और उसके बाद सोशल मीडयिा प्लेटफॉर्म/फेसबुक, गूगल, ट्विटिर, याहू, वॉट्सएप और मध्यवर्ती संस्थानों का प्रतनिधित्वि करने वाले अन्य एसोसएिशनों जैसे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसएिशन ऑफ इंडयिा (IAMAI), सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसएिशन ऑफ इंडयिा (COAI) और इंटरनेट सर्वसि प्रोवाइडर्स एसोसएिशन ऑफ़ इंडयिा (ISPAI) जैसे प्लेटफॉर्मों सहति अन्य साझेदारों के साथ वचिार-वमिर्श के बाद जनता से सुझाव आमंत्रति करने हेतु मसौदा जारी कयिा गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी [मध्यवर्ती संस्थानों के लयि (संशोधन) दशिा-नरि्देश] नयिम, 2018 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान

केंद्र द्वारा तैयार कयि SOP मसौदे में सोशल मीडयिा प्लेटफॉर्म से गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लयि नम्निलखिति प्रावधान हैं-

- सामग्री को हटाने के लयि सक्रयि नगिरानी उपकरण स्थापति करना।
- गैरकानूनी सामग्री की पहचान कर उसको हटाने के लयि वशि्वसनीय फ्लैगर्स (flaggers) की तैनाती।
- कानून प्रवर्तन एजेंसयिों की सहायता के लयि 24X7 तंत्र स्थापति करना।
- पूरे भारत में संपर्क अधकिारयिों की नयिुक्ति करना।
- प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी सामग्री उपलब्ध कराने वाले को ट्रेस करने की सुवधिा।
- साइबर सुरक्षा से संबंधी घटनाओं को भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतक्रियिा टीम के साथ दर्ज करना।
- कसिी भी सरकारी एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी को 72 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना।

संवधिान के तहत नागरकिों को प्राप्त है बोलने तथा अभवि्यक्ति की स्वतंत्रता

- सरकार भारत के संविधान में प्रदत्त अपने नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति तथा निजता की आज़ादी देने के लिये प्रतिबद्ध है। इसलिये सरकार अभी तक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होने वाली सामग्री को नियंत्रित नहीं करती।
- हालाँकि सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 में अधिसूचित नियम के अनुसार, सोशल नेटवर्क प्लेटफार्म को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके मंच का इस्तेमाल आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसा और अपराध के लिये नहीं किया जाता है।

सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक बड़ी चुनौती

- अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्त्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं।
- सोशल मीडिया के दुरुपयोग में आतंकवादियों की भर्ती के लिये प्रलोभन, अश्लील सामग्री का प्रसार, वैमनस्य फैलाना, हिंसा भड़काना, फेक न्यूज़ आदि शामिल हैं।

स्रोत : पी.आई.बी एवं द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/draft-it-rules-issued